

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

देवीलाल

बनाम

राजो सरकार

प्रकरण सं० - 2021/ 964 (G.C.M.)

अन्तर्गत धारा- 136 एल.आर.एक्ट

12.11.2021 प्रार्थी देवीलाल पुत्र राजाराम जाति कुम्हार साकिन 1 एसकेएम-ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम से जमाबन्दी में दर्ज चक 1 एसकेएम-ए के मु० नं० 189/25 के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 12, 14 की 2.099 हे० रकबा की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 1 एसकेएम-ए के मु० नं० 189/25 के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 12, 14 की 2.099 हे० रकबा देवीलाल पुत्र राजाराम जाति कुम्हार साकिन 1 एसकेएम-ए खातेदार रहन ओ.बी.सी. शाखा 2 एसटीआर मेहताब कॉलोनी नई मण्डी घड़साना पूर्ण खाता मुर्तहीन दर्ज रिकॉर्ड है रकबा स्वयं के कब्जा-काश्त में है मुताबिक रिकॉर्ड कोई विवाद/स्थगन नहीं है। आवंटन आदेश की प्रमाणित चित्रप्रति के अनुसार चक 1 एसकेएम-ए के मु० नं० 189/25 के किला नं० 1 ता 3, 8, 9/0-10 की 4-10 बीघा कमाण्ड, किला नं० 9/0-10, 10, 11, 12/0-10, 14/0-06 की 3-16 बीघा अन्कमाण्ड कुल 8-06 बीघा कमाण्ड/अ०क० रकबा गोमती बेवाह राजाराम जाति कुम्हार साकिन 6 एलएनपी तहसील गंगानगर को विशेष आवंटन श्रेणी में दिनांक 03.12.80 को 27,060/-रुपये में आवंटित हुई आवंटन आदेश अनुसार समस्त किश्त राशि जमा है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय की सीएडी रिपोर्ट सं० 1862 दिनांक 25.10.2021 के अनुसार चक 1 एसकेएम-ए के मु० नं० 189/25 कीसीएडी स्कीम दिनांक 01.09.1975 से स्वीकृत है। स्वीकृत स्कीम के अनुसार चक 1 एसकेएम-ए के मु० नं० 189/25 में किला नं० 1 ता 5, 7/0-10, 8, 9/0-10, 12/0-10, 13, 21 ता 25 की 13-10 बीघा रकबा कमाण्ड है रिसर्वे दिनांक 23.04.1986 के अनुसार किला नं० 6, 7/0-10, 9/0-10, 10/0-10, 14/0-10, 15/0-10, 16/0-10, 17 ता 20 की 8-00 बीघा कमाण्ड हुआ शेष रकबा अन्कमाण्ड है। प्रार्थी सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि व बकाया किश्त जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6-ए व वनविभाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर जमाबन्दी में सीएडी अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी की भूमि में 4-00 बीघा अ०क० से कमाण्ड हो चुकी है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो नियमानुसार जांचकर प्रार्थी से सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर सीएडी सर्वे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घड़साना को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तुरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना